

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.03.2023**

**थाना को0देहात पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त को मिशन शक्ति अभियान के तहत किया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात पुलिस ने मु0अ0सं0- 632/2022 धारा 376 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. भानू यादव को उसके घर A-15, 25 फूटा रोड़ कादी बिहार थाना स्वरूपनगर, जिला बाहरी उत्तर नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को0 देहात क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना को0देहात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. भानू यादव पुत्र स्व0 जगजीवन यादव निवासी ग्राम दुल्लापुर तरहर मझवा थाना को0देहात जनपद गोण्डा, वर्तमान पता- A-15, 25 फूटा रोड़ कादी बिहार थाना स्वरूपनगर जिला बाहरी उत्तर नई दिल्ली।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-632/2022 धारा 376 भादवि थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. अति0प्र0नि0 महिमानाथ उपाध्याय मय टीम थाना को0देहात गोण्डा।  
02. हे0का0जगजीत मय टीम (दिल्ली पुलिस)

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस- नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.03.2023**

**गैंगेस्टर एक्ट के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना को0नगर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 30.03.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर गैंगेस्टर एक्ट में 03 वांछित अभियुक्तगण 01. धीरजानन्द सिंह 02. विनोद कुमार उर्फ मन्नान व 03. मिथलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्तगण थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 261/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित थे। अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-**

01. धीरजानन्द सिंह पुत्र वीरध्वज सिंह निवासी 1005 सिविल लाइन थाना को0नगर, जनपद गोंडा।
02. विनोद कुमार उर्फ मन्नान पुत्र धर्मराज निवासी कटहामाफी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
03. मिथलेश कुमार पुत्र बाउर प्रसाद निवासी शुकुलपुरवा कटहामाफी थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. उ0नि0 अजय कुमार तिवारी मय टीम थाना को0नगर, जनपद गोण्डा।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त धीरजानन्द सिंह पुत्र वीरध्वज सिंह**

01. मु0अ0स0- 850/2019 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 भादवि थाना को0नगर गोण्डा।
02. मु0अ0स0 – 791/2019 धारा 182, 195, 211, 420 भादवि थाना को0नगर गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 261/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त विनोद कुमार उर्फ मन्नान पुत्र धर्मराज**

01. मु0अ0स0- 850/2019 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 भादवि थाना को0नगर गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 261/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त मिथलेश कुमार पुत्र बाउर प्रसाद**

01. मु0अ0स0- 850/2019 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 भादवि थाना को0नगर गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 261/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।
03. मु0अ0स0- 626/17 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0स0- 123/17 धारा 120बी, 419, 420 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 30.03.2023**

**लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-**  
पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त-प्रमोद निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना मोतीगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना मोतीगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. प्रमोद निषाद पुत्र बखेडू निषाद निवासी ग्राम जैती बेलघाट, जनपद गोरखपुरा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं० 97/2023 धारा 363,366 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोंडा

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

उ०नि० रमेश कुमार मय टीम।

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 30.03.2023**

### **शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

#### **01. थाना छपिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. राजू वर्मा पुत्र संतराम वर्मा निवासी शीतलगंज ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा हालपता मनीपुर ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 89/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **02. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. डलफल्ली पुत्र धमई निवासी ग्राम जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 155/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **02. थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. जगन्नाथ चौहान पुत्र शिवप्रसाद चौहान निवासी ग्राम नयपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 155/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।